



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 363 राँची, शुक्रवार, 12 आषाढ़, 1948 (श०)
3 जुलाई, 2026 (ई०)

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग।

अधिसूचना

29 अगस्त, 2022

ज्ञापांक:-03/छात्रवृत्ति(प्री मैट्रिक)-02/2022 -2584-

झारखण्ड राज्य अनुसूचित जाति प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना नियमावली, 2022

1. उद्देश्य:-

झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं की प्री-मैट्रिक शिक्षा में अधिक से अधिक भागीदारी बढ़ाने तथा उन्हें शिक्षा का समान अवसर प्रदान करने, उन्हें शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने एवं कक्षा-1 से 10 के बीच छात्र या ड्रॉप आउट को रोकने के उद्देश्य से झारखण्ड राज्य अनुसूचित जाति प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना नियमावली, 2022 का गठन किया जाता है।

2. क्षेत्राधिकार:-

झारखण्ड राज्य में अवस्थित राज्य सरकार के विद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं को प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।

3. पात्रता:-

3.1. प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति के क्रियान्वयन में भारत सरकार के समाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा प्री-मैट्रिक संवर्ग के लिए छात्रवृत्ति की मार्गनिर्देश निर्गत है, जिसके अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा केन्द्र एवं राज्य की छात्रवृत्ति योजना का समेकित रूप से भागीदारी के आधार पर क्रियान्वयन कराया जाता है। अतः पात्रता निम्नवत् होंगे:-

I. अनुसूचित जाति के छात्र-छात्रा जो झारखण्ड राज्य में अवस्थित राज्य सरकार के विद्यालयों में अध्ययनरत हैं।

3.2. माता-पिता/अभिभावक की पारिवारिक आय सीमा-

I. कक्षा 1 से 8 तक छात्रवृत्ति प्रदान किए जाने हेतु वार्षिक पारिवारिक आय की कोई सीमा निर्धारित नहीं रहेगी।

II. कक्षा 9 से 10 के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के प्रावधान के सदृश अर्हताधारी छात्र-छात्राओं के माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपये अधिक न हो।

III. भारत सरकार के संबंधित विभाग द्वारा उपर्युक्त आय सीमा में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाता है तो यह झारखण्ड राज्य में भी स्वयं प्रवृत्त माना जाएगा। संबंधित विभाग इस विषयक आदेश निर्गत करने के लिए सक्षम प्राधिकार होगा।

IV कक्षा 9 में दिया गया वार्षिक आय प्रमाण पत्र कक्षा 10 के लिए भी मान्य होगा।

V. वार्षिक पारिवारिक आय के संबंध में माता-पिता/अभिभावक द्वारा दिए स्वघोषणा पत्र मान्य होगा।

4. इस नियमवाली के अन्तर्गत अछादित होने वाले अनुसूचित जाति के छात्र-छात्रा निम्न रूप से वर्गीकृत होंगे:-

अनुसूचित जाति

- I. कक्षा 1 से 8 तक
 - क. कक्षा 1 से 5 तक
 - ख. कक्षा 6 से 8
- II. कक्षा 9 से 10 तक

5. आवेदन की प्रक्रिया-

- 5.1. ई-कल्याण पोर्टल पर निम्नलिखित User Id और Password निर्गत किए जाएंगे।
 - I. INO (Institute Nodal Officer)- UDISE Code प्राप्त विद्यालय का प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक
 - II. DNO (District Nodal Officer)- जिला कल्याण पदाधिकारी
 - III. SNO (State Nodal Officer)- आदिवासी कल्याण आयुक्त या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी
- 5.2. जिला कल्याण पदाधिकारी जो DNO (District Nodal Officer) होंगे, उनके द्वारा अपने जिला अन्तर्गत राज्य सरकार के UDISE Code प्राप्त विद्यालय के प्रधानाध्यापक / प्रभारी प्रधानाध्यापक को INO के रूप में Login Id और Password उपलब्ध कराया जाएगा।
- 5.3. विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक जो INO होंगे वे UDISE Code की ई-कल्याण पोर्टल पर प्रविष्टि करते हुए अपने विद्यालय को पंजीकृत करेंगे।
- 5.4. प्रत्येक विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा अपने Login Id और Password के माध्यम से अर्हताधारी छात्र-छात्राओं की प्रविष्टि ई-कल्याण पोर्टल पर सुनिश्चित किया जाएगा।
- 5.5. नए नामांकन के उपरान्त तत्काल ई-कल्याण पोर्टल पर भी अर्हताधारी छात्र-छात्रा का भी पंजीकरण किया जाना अनिवार्य होगा।
- 5.6. Aadhar Authentication के उपरान्त छात्र का Unique ID सृजित होगा जो ई कल्याण पोर्टल पर उत्तरोत्तर वर्षों के लिए मान्य होगा तथा उत्तरोत्तर वर्षों में अन्य प्रविष्टि करने की आवश्यकता नहीं होगी।

- 5.7. प्रत्येक विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा प्रत्येक छात्र-छात्राओं का नाम, जन्मतिथि और आधार संख्या की प्रविष्टि की जाएगी तदोपरान्त Aadhar Authentication सुनिश्चित होगा।
- 5.8. Aadhar Authentication के बाद आवेदन प्रपत्र-I पर रक्षित प्रपत्र के अनुरूप छात्र-छात्राओं का विवरण ई-कल्याण पोर्टल पर प्रत्येक विद्यालय के प्रधानाध्यापक / प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा प्रविष्टि की जाएगी।
- 5.9. विद्यालय द्वारा प्रविष्टि एवं सत्यापन (Verify) करने के उपरान्त अगले चरण DNO Level पर जिला कल्याण पदाधिकारी के Login Id और Password पर आवेदन दिखाई देगा।
- 5.10. DNO Level पर सही पाए गए आवेदनों को DNO अगले स्तर पर जिला स्तरीय अनुमोदन एवं अनुश्रवण समिति को अग्रसारित करेगा अथवा किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर DNO आवेदनों को संबंधित विद्यालय को त्रुटि निराकरण के लिए वापस करेगा।
- 5.11. जिला स्तरीय अनुमोदन एवं अनुश्रवण समिति को आवेदनों को स्वीकृत / अस्वीकृत करने का अधिकार होगा।
- 5.12. **SNO का दायित्व-** SNO जिला स्तरीय सभी भुगतान को राज्य स्तर पर भारत सरकार के सम्बंधित पोर्टल पर अग्रसारण / एकीकरण / साझा करने आदि सभी दायित्वों का निर्वहण करेंगे।

6. जिला स्तरीय अनुमोदन एवं अनुश्रवण समिति

- 6.1. DNO द्वारा आवेदन को अग्रसारित करने के उपरान्त जिला कल्याण पदाधिकारी सभी आवेदन को जिला स्तरीय अनुमोदन एवं अनुश्रवण समिति के समक्ष अनुमोदन हेतु रखेंगे।
- 6.2. जिला स्तरीय अनुमोदन एवं अनुश्रवण समिति निम्नरूपेण होगा:-

उपायुक्त	-अध्यक्ष
उप विकास आयुक्त/परियोजना निदेशक, ITDA	-उपाध्यक्ष
जिला शिक्षा पदाधिकारी	-सदस्य
जिला शिक्षा अधीक्षक	-सदस्य
जिला सूचना पदाधिकारी, NIC	-सदस्य
कोषागार पदाधिकारी	-सदस्य
अग्रणी बैंक के जिला प्रबंधक	-सदस्य
जिला कल्याण पदाधिकारी	-सदस्य, सचिव

- 6.3. जिला स्तरीय समिति यह सुनिश्चित करेगी कि आवेदक छात्र-छात्रा के सम्बन्ध में विद्यालय द्वारा दी गई तथ्यात्मक जानकारी/प्रविष्टि सही है तथा अनुमोदन योग्य है।
- 6.4. उपायुक्त का यह दायित्व होगा कि समिति की बैठक में प्राप्त सूची पर जांच की प्रक्रिया अधिकतम 7 दिनों में पूर्ण करते हुए अनुमोदन की कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

7. छात्रवृत्ति की दर-

- 7.1. अनुसूचित जाति के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए 08.09.2014 से प्रवृत्त दर:-

क्रं.	मद का नाम	दिवाकालीन के लिए दर	छात्रावासी के लिए दर
1	प्राथमिक विद्यालय (वर्ग 1 से 4)	500 रुपये	1500 रुपये
2	मध्य विद्यालय (वर्ग 5 से 6)	1000 रुपये	1500 रुपये
3	उच्च विद्यालय (वर्ग 7 से 8)	1500 रुपये	2000 रुपये
4	उच्च विद्यालय (वर्ग 9 से 10)	2250 रुपये	4500 रुपये

- 7.2. अनुसूचित जाति के लिए 08.09.2014 से प्रवृत्त दर को निम्न प्रकार से संशोधित और प्रभावी किया जाता है:-

क्रं.	कक्षा	छात्रावासी के लिए दर	दिवाकालीन के लिए दर
		छात्रवृत्ति की दर (10 माह के लिए)	
1	कक्षा 1 से 5	1500 रुपये	1500 रुपये
2	कक्षा 6 से 8	2000 रुपये	2500 रुपये
3	कक्षा 9 से 10	4500 रुपये	4500 रुपये

- 7.3. राज्य सरकार द्वारा छात्रवृत्ति का भुगतान निम्न रूप से किया जाएगा:

- कक्षा 1 से 8 सम्पूर्ण छात्रवृत्ति का भुगतान राज्य सरकार द्वारा छात्रछात्रा / माता-पिता / अभिभावक के खाते में PFMS के माध्यम से DBT द्वारा किया जाएगा।

II. कक्षा 9 से 10 के लिए छात्रवृत्ति के कुल राशि का 40% भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। ई-कल्याण पोर्टल द्वारा भुगतान किए गए छात्र-छात्राओं की विवरणी स्वतः API (Application Programming Interface) के माध्यम से भारत सरकार के पोर्टल पर साझा किया जाएगा। भारत सरकार को साझा की गई छात्र-छात्राओं की विवरणी के आधार पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा शेष 60% छात्रवृत्ति का भुगतान छात्रछात्रा/माता-पिता/अभिभावक के खाता में किया जाएगा।

7.4. कक्षा 9 से 10 के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार और राज्य की भागीदारी 60:40 इसी आधार पर की जाएगी।

7.5. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार की भागीदारी के दर में वृद्धि किए जाने पर केन्द्रराज्य की भागीदारी के आधार पर किसी प्रकार से भविष्य में परिवर्तन किया जाता है एवं यदि राज्य पर अतिरिक्त आर्थिक भार नहीं पड़ता है तब विभाग द्वारा दर में परिवर्तन किया जा सकेगा।

7.6. यदि भारत सरकार द्वारा छात्रवृत्ति के दर में परिवर्तन किया जाता है और केन्द्र राज्य भागीदार के आधार पर राज्य पर अतिरिक्त आर्थिक भार पड़ता हो तब वित्त विभाग के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा दर में परिवर्तन किया जा सकेगा।

8. भुगतान की प्रक्रिया-

8.1. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के प्रावधान के अनुरूप राज्य सरकार अर्हताधारी छात्र-छात्रा/माता-पिता/अभिभावक का खाता में छात्रवृत्ति का भुगतान PFMS के माध्यम से DBT द्वारा किया जायेगा।

8.2. कक्षा 1 से 8 तक छात्र-छात्राओं की छात्रवृत्ति का भुगतान PFMS के माध्यम से DBT द्वारा निम्न रूप से किया जाएगा:-

I. जिन लाभुक छात्र-छात्रा/माता-पिता/अभिभावक का खाता Aadhar से Link होगा वह APBS (Aadhar Payment Bridge System) के माध्यम से सीधे खाता में भुगतेय होगा।

II. जिन लाभुक छात्र-छात्रा/माता-पिता/अभिभावक का खाता Aadhar से Link नहीं होगा वह PFMS की NACH (National Automated Clearing House) के माध्यम से DBT द्वारा सीधे लाभुक छात्र-छात्राओं के खाता में भुगतेय होगा।

- 8.3. कक्षा 9 से 10 तक छात्र-छात्राओं की छात्रवृत्ति का भुगतान PFMS के माध्यम से DBT द्वारा छात्र-छात्रा/ माता-पिता/अभिभावक का खाता Aadhar से Link APBS (Aadhar Payment Bridge System) के माध्यम से सीधे खाता में होगा।
- 8.4. Banking Norms के अनुसार KYC का Periodic Updation कराया जाना अनिवार्य है। बैंक के प्रावधानों के अनुसार High Risk Customer को 2 वर्ष में Low Risk Customer को 10 वर्ष में KYC करवाना अनिवार्य है। छात्रवृत्ति के लाभुक Low Risk Customer में आते हैं। अतः जिला के उपायुक्त अपने जिला के अग्रणी बैंक के जिला प्रबंधक के माध्यम से यह सुनिश्चित करेंगे कि एक बार KYC हो जाने पर अगले 10 वर्षों तक KYC की बाध्यता नहीं रहे। उपायुक्त अग्रणी बैंक के जिला प्रबंधक के माध्यम से यह भी सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी अर्हताधारी छात्र-छात्राओं का बैंक खाता Dormant होने के कारण छात्रवृत्ति से वंचित न हो।

9. SMS का प्रावधान-

आवेदन पंजीकरण, सत्यापन एवं छात्रवृत्ति भुगतान के क्रम में प्रत्येक लाभुक छात्रछात्राओं को ई-कल्याण पोर्टल के माध्यम से उनके पंजीकृत मोबाईल नं. पर SMS के द्वारा प्रत्येक चरण की अद्यतन जानकारी दी जाएगी।

10. अनुश्रवण एवं शिकायतों का निपटारा-

- 10.1. किसी भी छात्र-छात्रा को किसी प्रकार की शिकायत होने पर ई-कल्याण पोर्टल पर सीधे, ई-मेल के माध्यम से, SMS के माध्यम से, Whatsapp के माध्यम से, Social Media के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। दर्ज शिकायत ई-कल्याण पोर्टल द्वारा जिला स्तरीय शिकायत जिला कल्याण पदाधिकारी को एवं राज्य स्तरीय शिकायत आदिवासी कल्याण आयुक्त को अग्रसारित करेंगे।
- 10.2. शिकायत का निपटारा जिला स्तर पर संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा एवं राज्य स्तर पर आदिवासी कल्याण आयुक्त की अध्यक्षता में गठित कोषांग के माध्यम से 72 घण्टों के अन्दर किया जाएगा तथा जिस माध्यम से शिकायत दर्ज किया गया है उसी माध्यम से शिकायतकर्ता को पूर्ण जानकारी दी जाएगी।

11. मूल्यांकन/सामाजिक लेखा परीक्षा और अनुवर्ती कार्रवाई-

- 11.1. आदिवासी कल्याण आयुक्त, झारखण्ड योजना का अंकेक्षण, सामाजिक अंकेक्षण एवं तृतीय पक्ष मूल्यांकन कराएंगे।

12. **आईटी फ्रेमवर्क एवं ई-कल्याण पोर्टल-**

12.1. समाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आईटी फ्रेमवर्क में अगर कोई परिवर्तन किया जाता है या राज्य सरकार को ई-कल्याण पोर्टल में परिवर्तन की आवश्यकता प्रतीत होती है तो उस अनुसार ई-कल्याण पोर्टल पर परिवर्तन करने हेतु विभाग सक्षम प्राधिकार होगा।

13. **नियमावली में संशोधन का अधिकार-**

13.1. राज्य सरकार पर वित्तीय भार बढ़ने की स्थिति में राज्य सरकार परिवर्तन के लिए सक्षम प्राधिकार होगा।

13.2. राज्य सरकार पर वित्तीय भार न बढ़ने की स्थिति में परिवर्तन के लिए विभाग सक्षम प्राधिकार होगा।

14. **दिनांक-24.08.2022 को मंत्रिपरिषद् की बैठक में मद संख्या-35 में सम्मिलित करते हुए प्रदान की गई स्वीकृति के आलोक में निर्गत संकल्प-2583, दिनांक-29.08.2022 की कंडिका-7 के संदर्भ में अधिसूचना निर्गत।**

कमल किशोर सोन,
सरकार के सचिव
